अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

कमांक एफ.15(67)पंरावि / विधि / ग्राम पंचायत / एजेण्डा / 2019 / 1371 जयपुर, दिनांकः– 09/8/19

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त ।
2.अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त ।

विषयः–ग्राम पंचायत के स्थाई एजेण्डे में शामिल करने बाबत ।

राज्य में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के तहत यह उचित समझा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जानी सुनिश्चित की जावे ।

अतः राज्य में होने वाली समस्त ग्राम पंचायत की बैठकों में पूर्व में निर्धारित स्थाई एजेण्डा में निम्न लिखित बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जायें:–

(क) सार्वजनिक स्थलों पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समय से पूर्व मातृत्व, महिलाओं के लिए भोजन एवं चिकित्सा सेवा के अपर्याप्त प्रबन्ध पर चर्चा करना ।

(ख) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गत कुछ वर्षों में लड़कों एवं लड़कियों की जन्म दर, महिलाओं के मुकाबले अधिक संख्या में पुरूष होने के दुष्परिणाम, गैर कानूनी भ्रूण का लिंग निर्धारण तथा बालिका भ्रूण हत्या के विरूद्ध जनचेतना जागृत करना।

(ग) राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित की जा रही महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं पर विचार–विमर्श एवं इनकी जानकारी आम महिला तक पहुँचाये जाने के प्रयासों एवं बाल अधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में भी चर्चा करना ।

(घ) ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) मैं आवंटित राशि का कम से कम 40 प्रतिशत राशि का व्यय महिला एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए किये जाने की समीक्षा करना ।

6/8

शासन सचिव एवं आयुक्त